UPJS100007412019

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

दाण्डिक परिवाद सं०- 572/2019

सरकार बनाम चन्द्रशेखर सिंह

धारा- 204, 228, 353, 477, 506 भा०दं०सं०
थाना- मऊरानीपुर, जिला- झांसी।
मु०अ०सं०- 54/2019

दिनांक- 31.10.2025

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र का०सं०- 21ए के निस्तारण हेतु बल दिया गया। प्रार्थनापत्र 21ए पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 21ए अन्तर्गत धारा- 239 जा०फौ०(262 भा०ना०सु०संहिता)

2. प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा स्वंय को उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 21ए1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 173 द०प्र० संहिता के अधीन आरोपपत्र प्रेषित किया गया है उसमें अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध आरोप नही बनता है। इस कारण प्रार्थी/ अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी ग्राम धवाकर थाना लहचूरा की ओर से आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है। उपरोक्त मुकदमे में अभियोजन द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक - 01.12.2019 को समय 2.00 वजे करीब साक्ष्य में नियत पत्रावलियों में पुकार लगायी जा रही थी तथा वादी बयान लिखने की तैयारी में था तब मुकदमा सं० 139/2017 मु० हारून बनाम घनेन्द्र धारा 138 एन०आई०एक्ट थाना मऊरानीपुर में प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव एडवोकेट मूल चैक व मैमो दाखिल करने के लिए खड़े थे। उसी समय विपक्षी के भाई चन्द्रशेखर सिंह द्वारा वकील साहव श्री गजेन्द्र यादव के हाथ से मूल चैक व मैमो छीनकर फाड़ दिया एवं वादी को धमकी दी कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगें तथा न्यायिक कार्य कर रहे लोकसेवक के कार्य में वाधा एवं साक्ष्य के रूप

Digitally signed by NIDA ZAIDI
Date: 2025.10.31 13:52:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में पेश किये जाने वाले दस्तावेजों को नष्ट करने के सम्बन्ध में प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। वादी मुकदमा न्यायालय का पेशकार है जिस समय की घटना वादी मुकदमा द्वारा बतायी गयी है उस समय किस मुकदमे में पुकार लगायी गयी ? तथा किस पत्रावली में बयान लिखने की तैयारी थी तथा उस मुकदमे में गवाह कौन था? पक्षकार कौन थे ? व पक्षकारों की ओर से कौन अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे ? इस संबंध में विवेचक द्वारा कोई जानकारी नही जुटायी और न ही इन तथ्यों से संबंधित किसी व्यक्ति के बयान अपनी विवेचना में अकित किये गये ।इससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा लभाये गये आरोपों के आधार पर बिना किसी ठोस जांच के विवेचक द्वारा दबाव के चलते विवेचना की औपचारिकता पूर्ण कर दी। वादी मुकदमा द्वारा तथाकथित घटना का समय 2. 00 बजे करीब का बताया गया इस समय पर न्यायालय में लंच अवकाश चल रहा था तथा पीठासीन अधिकारी न्यायालय में पीठासीन नही थी और बयान लिखा जाना शुरू नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में किसी लोक सेवक के कार्य में व्यवधान डालने का प्रश्न ही पैदा नही होगा। वादी मुकदमा द्वारा बताई गयी तथाकथित घटना में प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के हाथ से चैक व मैमो छीनकर फाड़ देना बताया गया है इससे स्पष्ट है कि यदि कोई घटना घटित हुई है तो वह भी एक अधिवक्ता एवं अभियुक्त के मध्य घटित हुई है जिनका खड़े होने का स्थान न्यायालय में अलग है एवं वादी मुकदमा पेशकार होने के कारण उनका बैठने का स्थान अलग है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के मध्य किसी प्रकार की कोई घटना घटित होने की कतई सम्भावना नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा जिस परिवाद 139/ 2017 धारा 138 एन०आई०एक्ट में अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव द्वारा मूल चैक व मैमो दाखिल करने का कथन अंकित कराया गया है उस मुकदमे में न्यायालय श्रीमान जुडिशिल मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर द्वारा दिनांक 08. 09. 2017 को अभियुक्त घनेन्द्र सिंह को तलब किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया जिसमें परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में असल चेक चैक मैमो, आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने का कथन अंकित किया गया है , उक्त आदेश दिनांक 08. 09. 2017 में जिस चैक व मैमो को पूर्व में ही पत्रावली में संलग्न बताया गया है वह चैक व मैमो परिवादी के अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का कथन वादी द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया जो कतई सम्भव नहीं है। इस संबंध में विवेचक द्वारा न तो कोई गहन छानबीन की गई और न ही वादी द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट किया गया कि जो दस्तावेज वर्ष 2017 में न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किये जा चुके है वही दस्तावेज दिनांक 01. 12. 2019 को परिवादी के अधिवक्ता को कहाँ से उपलब्ध हुए। वादी द्वारा लगाए

गए आरोपों के आधार पर विवेचक द्वारा प्रार्थी को धारा- 204 भा०द० सहिता के अपराध में आरोपित किया गया है उक्त अपराध साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रोनिक अभिलेख को पेश किये जाने से निवारित करने के लिए उसको नष्ट करने का है। चूंकि साक्ष्य के रूप में चैक व मैमो परिवाद के साथ पूर्व में ही प्रस्तुत किये जा चुके थे तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उन पर संज्ञान लिया जा चुका था इस कारण इन अभिलेखों को पेश किये जाने से निवारित करने का कोई अपराध नही बनता है। वादी द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर विवेचक द्वारा प्रार्थी को धारा 228 भा०द० सहिता के अपराध में आरोपित किया गया है यह अपराध न्यायिक कार्य में बैठे हुए लोकसेवक के साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न का है। जब तथाकथित घटना अभियुक्त एवं अधिवक्ता के मध्य घटित होना बताई गयी है तो धारा 228 भा०द० सहिता के अधीन अपराध प्रार्थी के ऊपर आरोपित किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है।वादी द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर विवेचक द्वारा प्रार्थी को धारा-353 भा०द० सहिता के अपराध में आरोपित किया गया है। उक्त अपराध लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग का है। एक ओर घटना अभियुक्त एवं एक अधिवक्ता के मध्य छीना -झपटी तथा दस्तावेज फाड़ने की बताई गयी है वही दूसरी ओर लोकसेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए आपराधिक हमला का आरोप प्रार्थी के ऊपर लगाया गया जो किसी भी हालत में न्याय संगत नहीं है। वादी द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर विवेचक द्वारा प्रार्थी को धारा 477 भा०द० सहिता के अपराध में आरोपित किया गया है उक्त अपराध बिल, दत्तक गृहण, प्राधिकारपत्र, या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट करने का है। चूंकि प्रार्थी के विरुद्ध जिस चैक व मैमो को छीनकर फाड़ देने का आरोप वादी द्वारा लगाया गया उस चैक व मैमो के संबंध में पूर्ण संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है तथा उस पर कार्यवाही की जा चुकी है तब उन दस्तावेजों को नष्ट करने से कोई लाभ प्रार्थी को नही मिल सकता इसके वावजूद एक शिक्षित व जानकार व्यक्ति द्वारा उन दस्तावेजों को नष्ट करना कतई सम्भव नहीं है। वादी द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर विवेचक द्वारा प्रार्थी को धारा 506 भा०द० सहिता के अपराध में आरोपित किया गया है जो बिल्कुल भी सत्य नही है क्योंकि वादी द्वारा बताई गई तथाकथित घटना में चैक व मैमो अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव के हाथ से छीनकर फाड़ना बताया गया जब वादी मुकदमा (पेशकार) का उक्त घटना में हस्तक्षेप नही हुआ तो उनको किसी प्रकार से धमकी दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के संबंध में बिना किसी गहन जांच के मात्र न्यायालय में हुई घटना के कारण

दबाव के चलते विवेचना की औपचारिकता बिना पीठासीन अधिकारी के बयान, बिना स्वतन्त्र साक्षियों के बयान के पूर्ण कर दी जबकि मुकदमा नंबर - 139/ 2017 के परिवादी हारून जो उधार पैसा देकर लोगों को कर्ज में फसाने का एक सिन्डीकेट चलाते है उनके द्वारा पेशकार से मिलकर फर्जी तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गई जिसमें विवेचक द्वारा प्रार्थी को ऐसे अपराधों में आरोपित किया गया जो विधिक दृष्टि से प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित नही होते है तथा उपरोक्त घटना शत -प्रतिशत सन्देह पूर्ण है। अतः अभियुक्त को आरोप मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. अभियुक्त के उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति अंकित कर कथन किया गया है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर के विरुद्ध संकलित साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निराधार है। खारिज करने की कृपा की जाए।

4. **सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।** पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मुकदमा अपराध सं०- 54/ 2019 में अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह के विरुद्ध थाना मऊरानीपुर जिला झांसी के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा - 204, 228, 353, 506 भा०दं०सं० की पंजीकृत करायी गयी थी जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक - 30. 04. 2019 को प्रस्तुत आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को आरोप विरचित किये जाने हेतु तलब किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक- 01. 02. 2019 को समय 2 बजे के करीब साक्ष्य में नियत पत्रावली में पुकार लगायी जा रही थी और वादी मुकदमा बयान लिखने की तैयारी कर रहा था तभी मुकदमा सं० - 139/ 2017 मोहम्मद हारून बनाम घनेन्द्र, धारा- 138 एन०आई०एक्ट , थाना मऊरानीपुर जिला झांसी के मुकदमा के वादी के अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव एड० मूल चैक व मेमो दाखिल करने के लिये खड़े थे। उस मुकदमे के विपक्षी का भाई चन्द्रभान सिंह जो वर्तमान मुकदमे में अभियुक्त है वह भी वहीं खड़ा था और उसने प्रार्थी के वकील गजेन्द्र यादव से मूल चैक व मेमो हाथ से छीनकर फाड़ दिया और वादी मुकदमा को धमकी दी की अगर अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगा व भय कारित किया और साक्ष्य में पेश किये जाने वाले दस्तावेज को पेश करने से निवारित करने के लिये नष्ट किया तथा न्यायिक कार्य कर रहे लोकसेवक का अपमान कर उसके कार्य में वाधा डाली। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में न्यायिक कार्य कर रहे पेशकार (लोकसेवक) को जान से मारने की धमकी दी और न्यायिक कार्य में वाधा उत्पन्न करने तथा साक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले मूल चैक व मेमो को नष्ट करने का अभियोग पंजीकृत है।

पत्रावली दिनांक- 11. 04. 2019 से आरोप हेतु नियत रही। अभियुक्त के द्वारा दिनांक - 06. 11. 2019 को नकलें प्राप्त की गयी तब से पत्रावली पर आरोप विरचित नहीं हुआ। दिनांक- 20. 06. 2025 को जब पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत की गयी तो अभियुक्त के द्वारा धारा - 239 जा०फौ० के अन्तर्गत आरोप से मुक्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र का०सं०- 21ए प्रस्तुत किया गया।

5. अवलोकनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी भी दाण्डिक मामले में अभियुक्त के उन्मोचन के संबंध में प्राविधान वर्णित है। उक्त के सन्दर्भ में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि इस स्तर पर विचारण तथा साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं किया जाता है अपितु यह देखा जाना होता है कि क्या कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध है अथवा नहीं ? और यदि है तो क्या प्रथमदृष्टया उसपर आरोप लगाया जा सकता है?

6. यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय **Captain Manjit Singh Virdi (Retd.) Vs Hussain Mohammad Shattaf & ors. Criminal Appeal No. 1399 of 2023;2023 Live low (SC) 462** का उल्लेख आवश्यक है जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि "The law on issue as to what is to be considered at the time of discharge of an accused is well settled. It is a case in which the Trial Court had not yet framed the charges. Immediately after filing of chargesheet, application for discharge was filed. **The settled proposition of law is that at the stage of hearing on the charges entire evidence produced by the prosecution is to be believed**. In case no offence is made out then only an accused can be discharged. Truthfulness, sufficiency and acceptability of the material produced can be done only at the stage of trial. **At the stage of charge, the Court has to satisfy that a prima facie case is made out against the accused persons.** Interference of the Court at that stage is required only if there is strong reasons to hold that in case the trial is allowed to proceed, the same would amount to abuse of process of the Court."

7. अभियुक्त के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में उन्मोचन हेतु जो पहला आधार लिया गया है वह यह है कि वादी मुकदमा न्यायालय का पेशकार है और जिस समय की घटना बतायी गई है उस समय

किस मुकदमे में पुकार लगायी गयी, किस पत्रावली में बयान लिखने की तैयारी चल रही थी तथा उस मुकदमे में गवाह कौन था, कौन से अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे इस संबंध में विवेचक द्वारा कोई जानकारी नहीं जुटाई गई और मात्र दबाव के चलते बिना किसी ठोस जांच के विवेचना की औपचारिकता पूर्ण कर दी गयी। अभियुक्त के द्वारा लिये गये इस आधार के संबंध में यह कहना उचित है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह के ऊपर न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले चैक व मेमो को फाड़कर नष्ट किये जाने तथा न्यायालय में मौजूद पेशकार (लोकसेवक) को जान से मारने की धमकी देकर भय कारित करने और न्यायिक कार्य में वाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। घटना के समय न्यायालय में कौन-सा मुकदमा विचाराधीन था, उस मुकदमे में पक्षकार कौन थे या अधिवक्ता कौन थे यह महत्तवपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्तवपूर्ण यह है कि न्यायालय में घटना घटित हुई और अभियुक्त के द्वारा उसे कारित किया गया। विवेचना में किस मुकदमे में गवाही होनी थी, कौन से पक्षकार थे आदि तथ्यों का वर्णन नहीं किया जाना प्रस्तुत प्रकरण में आरोप से उन्मोचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

8. अभियुक्त द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने का जो दूसरा आधार लिया गया है वह यह है कि घटना समय दो बजे की बतायी गयी है जिस समय लंच अवकाश चल रहा था और पीठासीन अधिकारी न्यायालय में पीठासीन नहीं थीं, बयान लिखा जाना शुरु नहीं किया गया था। ऐसे में लोकसेवक के कर्त्तव्यों में व्यवधान डालने का प्रश्न नहीं होता। साथ ही यह भी आधार लिया गया है कि जब घटना अभियुक्त एवं अधिवक्ता के मध्य होना बताया गया है तो धारा-228 के अधीन प्रार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित नहीं है और इसी संदर्भ में यह भी आधार लिया गया है कि अभियुक्त को धारा -477 के अपराध में आरोपित किया गया है जो कि बिल , दत्तकग्रहण, प्राधिकरण या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट करने का है। चूंकि प्रार्थी के विरुद्ध जिस चैक व मेमो को छीनकर फाड़ देने का आरोप लगाया गया है उसके संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व में ही संज्ञान लिया जा चुका है। ऐसे में घटना के समय दस्तावेजो को नष्ट करने से प्रार्थी को कोई लाभ नहीं मिल सकता और शिक्षित व जानकार व्यक्ति द्वारा दस्तावेजो को नष्ट करना संभव नहीं है। अभियुक्त के द्वारा लिये गये आधारों के संबंध में यह कहना उचित है कि घटना समय दो बजे की बतायी गयी है जिस समय भोजन अवकाश समाप्त हो जाता है। पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नहीं थे बयान लिखना शुरु नहीं हुआ था। यह सभी तथ्य इस बात का प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित नहीं की गयी हो। न्यायालय का पेशकार एक

लोकसेवक है और वह जिस समय न्यायालय में मौजूद है फिर वह बयान लिख रहा हो या नहीं लिख रहा हो वह एक लोकसेवक की श्रेणी में आता है और प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा अपनी लिखित तहरीर में इस तथ्य को कहा गया है कि वह बयान लिखने की तैयारी में था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वह एक न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही बयान लिखने की तैयारी में था। इसके अतिरिक्त जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है कि घटना परिवाद सं० - 139/ 2017 के परिवादी के अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव तथा अभियुक्त के मध्य घटित हुई है ऐसे में न्यायिक कार्य में बैठे हुए लोकसेवक के साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न का प्रश्न नहीं उठता है। अभियुक्त पर धारा - 228 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध आरोपित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह यह कहना उचित है कि पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी की तहरीर, धारा- 161 के अन्तर्गत वादी मुकदमा व अन्य गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह से छीनकर चैक फाड़ने के उपरान्त यह धमकी दी की उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाए और जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार इस स्तर पर अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा जो कि न्यायिक कार्य में बैठा लोकसेवक है, के न्यायिक कार्य में वाधा उत्पन्न की गयी और उसका अपमान किया गया उसे भयभीत किया गया। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जिस चैक व मेमो के संबंध में चैक व मेमो को नष्ट किये जाने का आरोप लगाया गया है उसके संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व में ही संज्ञान लिया जा चुका है और उसे नष्ट करने से वादी को कोई लाभ नहीं मिल सकता था। इस संबंध में यह कहना उचित है कि पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा - 138 एन०आई०एक्ट के अन्तर्गत दर्ज परिवाद में मूल चैक व मेमो एक महत्तवपूर्ण दस्तावेज है जो कि भले ही प्रकरण में संज्ञान लिया जा चुका है तो भी प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक साक्ष्य के दृष्टिकोण से अहम दस्तावेज है जिनके विनष्टीकरण से अभियुक्त को लाभ हो या न हो परिवादी को गलत तरीके से नुकसान होने की प्रबल संभावना होती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आधार भी इस स्तर पर अभियुक्त को आरोपों से उन्मोचित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है।

9. अभियुक्त के द्वारा प्रकरण में आरोपों से उन्मोचित करने हेतु यह भी आधार लिया गया है कि तथाकथित घटना में प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता के हाथ से चैक व मेमो छीनकर फाड़ देने कहा गया है जो घटना घटित हुई है वह एक अधिवक्ता और अभियुक्त के मध्य घटित हुई है जिनके खड़े होने के स्थान न्यायालय में अलग हैं और वादी मुकदमा एक पेशकार होने के कारण उनके बैठने का स्थान अलग है। ऐसे में वादी मुकदमा और अभियुक्त के मध्य किसी भी

प्रकार की कोई घटना होना संभावित नहीं है। इसके संबंध में यह कहना उचित है कि जिस समय पेशकार न्यायालय में बयान लिखने की तैयारी में हो और किसी अधिवक्ता और किसी पक्षकार के मध्य कोई झगड़ा या बहस हो तो यह स्वाभाविक है कि उस समय पर न्यायालय में मौजूद सभी लोग ऐसी घटना से प्रभावित होंगे। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में खड़े अधिवक्ता से चैक छीनकर फाड़ा गया और वादी मुकदमा को अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से धमकाया गया। जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके समर्थन में वादी मुकदमा व अन्य गवाहों द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा- 161 जा०फौ० में दिये गये है। ऐसे में पेशकार और पक्षकारों के न्यायालय में खड़े होने के स्थान से यह साबित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त के द्वारा घटना कारित नहीं की गयी हो। इसके संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र में संलग्न नक्शा नजरी का०सं०-8ए के अवलोकन से विदित है कि A शब्द से वह स्थान बताया गया है जहां पर वादी मुकदमा पेशकार राकेश कुमार पाण्डेय बैठते हैं और उनके पास वकील व वादकारी के खड़े होने के स्थान व अभियुक्त द्वारा कारित घटना को किया जाना दर्शाया गया है जो कि पेशकार की बैठने की सीट के पास है। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर उपरोक्त से संबंधित कोई अतिरिक्त साक्ष्य अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार इस आधार पर भी अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

10. अभियुक्त के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी आधार लिया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा जिस परिवाद सं०- 139/ 2017 धारा- 138 एन०आई०एक्ट में अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव द्वारा मूल चैक व मेमो दाखिल करने का कथन अंकित कराया गया है उस मुकदमे में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर द्वारा दिनांक- 08. 09. 2017 को अभियुक्त घनेन्द्र सिंह को तलब किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया जिसमें परिवादी की ओर से परिवादपत्र के समर्थन में असल चैक, चैक मेमो आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने का कथन अंकित किया गया है और उक्त आदेश में भी चैक व मेमो पूर्व में ही पत्रावली पर संलग्न बताया गया है। वह चैक व मेमो अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना कतई संभव नहीं है और विवेचक द्वारा इस संबंध में कोई छानबीन नहीं की गयी और न ही वादी द्वारा अपने बयानों में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया कि जो दस्तावेज वर्ष 2017 में पत्रावली पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं वह दस्तावेज दिनांक- 01. 12. 2019 को परिवादी के अधिवक्ता को कहा से उपलब्ध हुए और ऐसे में उन अभिलेखों को न्यायालय में पेश किये जाने से निवारित करने का कोई अपराध धारा - 204 भा०दं०सं० के अन्तर्गत नहीं बनता है। इस संबंध में यह कहना उचित है कि अभियुक्त के

द्वारा अपने उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, कि परिवाद सं०- 139/ 2017 पर तलबी के समय ही मूल चैक व मेमो पत्रावली में दाखिल किया जा चुका है, के संबंध में कोई साक्ष्य इस स्तर पर पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है न ही न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर द्वारा उपरोक्त आदेश की कोई प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। यहां पर यह भी कहना उचित है कि यदि संज्ञान के समय न्यायालय द्वारा मूल चैक अथवा मेमो का उल्लेख अपने आदेश में किया भी गया हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह चैक व मेमो उस समय पत्रावली पर दाखिल ही की गयी हो। इस बात की भी संभावना है कि न्यायालय द्वारा तलबी के समय उक्त असल चैक व मेमो को अवलोकित कर प्रार्थी को वापस किया गया हो। हालांकि ये सभी प्रश्न साक्ष्य के विषय है और इस स्तर पर विचारणीय नहीं है। अभियुक्त को इस संदर्भ में अपना साक्ष्य एवं जबाव रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अतः उपरोक्त आधार पर भी अभियुक्त को अपराध से उन्मोचित किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

11. अभियुक्त के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी आधार लिया गया है कि अभियुक्त को धारा - 353 के अन्तर्गत आरोप के लिये आरोपित किया गया है जो कि लोकसेवक को उसके कर्त्तव्य के निर्वहन में भयोपरत करने के लिये हमला या आपराधिक बल प्रयोग का है और जहां घटना अधिवक्ता और अभियुक्त के मध्य छीना-झपटी या दस्तवेजों के फाड़ने की बतायी गयी है ऐसे में लोकसेवक पर आपराधिक हमले का आरोप लगाया जाना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही धारा- 506 भा०द०सं० के आरोप के संबंध में यह आधार लिया गया है कि तथाकथित घटना में चैक व मेमो अधिवक्ता श्री गजेन्द्र यादव के हाथ से छीनकर फाड़ना बताया गया जब वादी मुकदमा पेशकार का उक्त घटना में हस्तक्षेप नहीं हुआ तो उनको किसी प्रकार से धमकी दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में यह कहना उचित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में मूल चैक व मेमो को फाड़ा गया। साथ ही वादी को इस बात की धमकी दी गयी है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी तो उसे जान से मार देंगे और उसे भय कारित किया। साथ ही लोकसेवक का अपमान कर उसके कार्य में वाधा डाली गयी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनों का समर्थन वादी व अन्य गवाहों द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा- 161 के अन्तर्गत किया गया है और यह साक्ष्य का विषय है कि घटना के समय अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में कार्यरत पेशकार (लोकसेवक) को किसी प्रकार भयभीत करते हुए लोकसेवक के कार्य में वाधा या विघ्न उत्पन्न किया गया या नहीं अथवा कोई जान से मारने की धमकी दी गयी अथवा नहीं। इस प्रकार इस आधार से भी उन्मोचित किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु अपने प्रार्थनापत्र में यह भी आधार लिया गया है कि विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के संबंध में बिना किसी गहन जांच के मात्र न्यायालय में हुई घटना के कारण दबाव के चलते विवेचना की औपचारिकता बिना पीठासीन अधिकारी के बयान , बिना स्वतन्त्र साक्षियों के बयान के पूर्ण कर दी जबकि मुकदमा नंबर- 139/ 2017 के परिवादी हारून जो उधार पैसा देकर लोगों को कर्ज में फसाने का एक सिन्डीकेट चलाते है उनके द्वारा पेशकार से मिलकर फर्जी तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गई। इस संबंध में यह कहना उचित है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आरोप पत्र के साथ मौजूद समस्त प्रपत्रों - वादी मुकदमा तथा अन्य गवाहों के धारा - 161 जा०फौ० के अन्तर्गत दिये गये बयानों , नक्शा नजरी, अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने के आधार पर अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया गया है और इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. अतः प्रार्थनापत्र में उल्लिखित कारणों तथा उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर इस स्तर पर अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है । अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक - 28. 11. 2025 को आरोप विरचन हेतु न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो ।

दिनांक- 31. 10. 2025

(निदा जैदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
गरौठा, झांसी।

(Mohd. Anas)
Steno